आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

P.N. 20/22.10.18

आदेश

PNO - 29 / 1-11-18

विविध वाद संख्या— 16/2018—19

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

शहदेव यादव वगैरह .... प्रथम पक्ष

बनाम्

रामदेव यादवव गैरह .... द्वितीय पक्ष

27.09.2018 यह प्रक्रिया आवेदक 1. शहदेव यादव पिता— स्व0 एतवारू यादव 2. जगदेव यादव पिता— स्व0 नन्हक यादव 3. महादेव यादव पिता— स्व0 लगन यादव 4. सुरेश यादव पिता— स्व0 बालगोविन्द यादव 5. बाला यादव पिता— स्व0 नन्हक यादव 6. नागदेव यादव पिता— स्व0 एतवारू यादव 7. मुखदेव यादव सभी ग्राम—रेंगनीया, पोस्ट— चपरवार, थाना— छत्तरपुर, जिला— पलामू ने 1. रामदेव यादव पिता— स्व0 मंगर यादव 2. सुरेन्द्र यादव 3. सुरेश यादव दोनो के पिता— स्व0 बुधु यादव 4. चानदेव यादव 5. रामदेव यादव दोनो के पिता— स्व मंगर यादव 6. विशुनदेव यादव 7. शंकर यादव 8. रूपदेव यादव तीनो के पिता— स्व0 बुंधु यादव 9. कामेश्वर यादव 10. योगेन्द्र यादव 11. महेन्द्र यादव तीनो के पिता— स्व0 रंजन यादव 12. राजकेश्वर यादव 13. सरयू यादव दोनो के पिता— स्व0 भभल यादव सभी ग्राम—रेंगनीया, पोस्ट—

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी सहित
1	2	3
	चपरवार, थाना— छत्तरपुर, जिला— पलामू के विरूद्ध धारा 144 दं0प्र0सं0 अंतर्गत कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया था जिसे इस कार्यालय के ज्ञापांक 714 दिनांक— 17.07.2018 द्वारा थाना प्रभारी, छत्तरपुर से जाँच प्रतिवेदन कि मांग की गई। थाना प्रभारी, छत्तरपुर ने डी0 आर0 नं0— 709/18 दिनांक— 28.07.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किये हैं। जाँच प्रतिवेदन में विवाद को देखते हुए एवं शांति— व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 दं0प्र0सं0 लगाने की अनुशंसा किया गया है। विवादी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:— मौजा— रेंगनीया, खता सं0— 18, प्लॉट सं0— 1, रकबा— 1.30 एकड़, चौहद्दी उतर— शिवाना दलपतपुर, दक्षिण— टांड़ शिवचरण महतो, पूरब— रास्ता, पश्चिम— सीमा कुमारी, मौजा— रेंगनीया, खाता सं0— 18, प्लॉट सं0— 5, रकबा— 1.05 एकड़, चौहद्दी उतर— शिवाना दलपतपुर, दक्षिण— मुंशी महतो, पूरब— रास्ता, पश्चिम— टांड़ शिवचरण महतो, मौजा— रेंगनीया, खाता सं0— 18, प्लॉट सं0— 14, रकबा— 0.53 एकड़, चौहद्दी उतर— टांड़ शिवबरत महतो दक्षिण— डोमन महतो, पूरब— टांड़ शिवचरण महतो, पश्चिम— मौजा ठेकही, मौजा— रेंगनीया, खाता सं0— 18, प्लॉट सं0— 17, रकबा— 0.25 एकड़, चौहद्दी उतर— टांड़ मुंशी महतो, दक्षिण— मकान मुंशी महतो, पूरब— रास्ता, पश्चिम—	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	शिवबरत महतो, मौजा– रेंगनीया, खाता सं0– 18, प्लॉट सं0– 19, रकबा– 0.04 एकड़, चौहद्दी उतर–शिवबरत महतो, दक्षिण– डोमन महतो, पूरब– शिवबरत महतो, पश्चिम– मौजा ठेकही, मौजा– रेंगनीया, खाता सं0– 18, प्लॉट सं0– 22, रकबा– 0.02 एकड़, उतर– मकान नीज, दक्षिण– शिवबरत महतो, पू0– टांड़ मुंशी महतो, पश्चिम– टांड़ शिवबरत महतो, मौजा– रेंगनीया, खाता सं0–18, प्लॉट सं0– 94, रकबा– 0.24 एकड़, चौहद्दी उतर– धान खेती शिवबरत महतो, दक्षिण– धान खेती शिवबरत महतो, पूरब– धान खेती डोमन महतो, पश्चिम– धान खेती शिवबरत महतो, मौजा– रेंगनीया, खाता सं0–18, प्लॉट सं0– 104, रकबा– 0.04 एकड़, चौहद्दी उतर– टांड़ नीज, दक्षिण– शिवबरत महतो, पूरब– बंगला महतो, पश्चिम– टांड़ नीज, मौजा– रेंगनीया, खाता सं0– 18, प्लॉट सं0– 105, रकबा–0.62 एकड़, चौहद्दी उ0– टांड़ मुंशी महतो वगैरह, दक्षिण– शिवबरत महतो, पूरब– धान खेती नीज, पश्चिम– रास्ता, मौजा– रेंगनीया, खाता सं0–18, प्लॉट सं0– 106, रकबा– 0.26 एकड़, चौहद्दी उतर– टांड़ मुंशी महतो,दक्षिण– टांड़ नीज, पूरब– बंगला महतो, पश्चिम– टांड़ नीज, मौजा– रेंगनीया, खाता सं0– 18, प्लॉट सं0– 129, रकबा– 1.34 एकड़, चौहद्दी उतर– परती नाला,	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी सहित
1	2	3

दक्षिण– परती कदीम, पूरब– परती नाला, पश्चिम– परती कदीम, के लिए विवादी भूमि के ऊपर धारा 144 दं0 प्र0 सं0 की प्रकिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थि हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताय कि मौजा– रेंगनीया के खाता सं– 18 पर हरिचन्द महतो का शांतिपूर्वक दखल– कब्जा रहा तथा मरने के बाद उनके वंशज का दखल– कब्जा चला आ रहा है जो लिखित बहस में बंशावली से स्पष्ट होता है। हरिचन्द महतो के दोनो पत्नी के पुत्रों के बीच आपस में बटवारा हो गया है और बटवारा के आधार पर खाता सं0– 18 के अंतर्गत प्लॉटों में 1/2 भाग ढ़ोंड़ी महतो एवं अली महतो को हिस्सा मिला हुआ था एवं अली महतो को नावल्द मृत होनेके कारण अली महतो के हिस्से पर निर्विवाद जोत– कोड़ एवं दखल– कब्जा ढोंड़ी महतो का कायम हुआ और ढ़ोड़ी महतो के मृत्यु के बाद उनके वंशज का दखल– कब्जा एवं स्वामित्व चला आ रहा है तथा सरकारी लगान रसीद मौजा– रेंगनीया के खाता सं0– 18 के अंतर्गत प्लॉटों में 1/2 अंश का

देश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

रसीद निर्गत होते चला आ रहा है जो रजिस्टर II के पृष्ट सं0– 58 पर दर्ज है। विपक्षी के द्वारा प्रथम पक्ष के भूमि पर जोत– कोड़ करने पर आमादा हुए एवं मारपीट करने पर उतारू हो गये इसलिए खाता सं0– 18 के अंतर्गत प्लॉटों के संपूर्ण रकबा पर विवाद दिनांक 15.07.2018 को उत्पन हुआ जिसके आलोक में प्रथम पक्ष के द्वारा श्रीमान के न्यायालय में मुकदमा लाया गया। विपक्षीगण को प्रथम पक्ष को भूमि पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताय कि हरिचन्द यादव का इस वाद के भूमि पर संपूर्ण हक दखल– कब्जा एवं स्वामित्व का अधिकार स्थापित था और उनके मर जाने के बाद उनके चार पुत्र ढोंढ़ी महतो, अली महतो, मंगर महतो एवं भूनि महतो हरिचंद यादव के सम्पूर्ण सम्पति का उत्तराधिकारी हुए। अली यादव नावल्द मर गये जिसके कारण इस वाद के भूमि के ऊपर ढोंढ़ी महतो, मंगर महतो और भूनि महतो का समान हक दखल– कब्जा एवं स्वामित्व स्थापित हुआ और ढोंढ़ी महतो, मंगर महतो और भूनि महतो के बीच आपसी बटवारा हुआ जिसमें तीनों फरिकेन को 1/3 भाग

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	उपरोक्त सम्पती में हिस्सा प्राप्त हुआ जिसके अनुसार अपने– अपने भुमी पर जोत– कोड़ करने लगे। यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि द्वितीय पक्ष के सदस्यगण मंगर महतो और भूनि महतो के वंशज हैं जबकी प्रथम मक्ष के सदस्यगण ढोंढी महतो के वंशज हैं तथा पूर्वज के बंटवारा के आधार पर अपने– अपने हिस्से के जमीन पर द्वितीय पक्ष शांतिपूर्ण जोत– कोड़ करते चले आ रहे हैं। नामांतरण वाद सं0–377/1975–76 के द्वारा आपसी बटवारा के आधार पर अंचल अधिकारी, छत्तरपुर के द्वारा जमाबंदी का विभाजन किया गया और जमाबंदी का विभाजन के लिए प्रथम पक्ष के पूर्वज के द्वारा आपसी विभाजन के आधार पर आवेदन दिया गया था जो सम्यक जाँच के बाद जमाबंदी का विभाजन कर सभी फरिकेन के नाम से वर्ष 1975 से अलग– अलग रसीद निर्गत हो रहा है इस प्रकार 38 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद प्रथम पक्ष के द्वारा विवाद उत्पन करना विधिसंगत एवं न्यायोचित नहीं है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि वाद भूमि सम्पूर्ण रकबा की भूमि है जिसपर धारा 144 की प्रकिया चलाया जाना भरन पोषण योग्य नहीं है। थाना प्रभारी, छत्तरपुर ने अपने जाँच	

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

प्रतिवेदन में उल्लेख किये हैं कि हरिचन्द महतो के पहली पत्नी के दो पुत्र थे जिसमें एक पुत्र नावल्द मृत हो गये जिसके सम्पती में द्वितीय पक्ष जबरण हिस्सा मांगने को लेकर यह विवाद किये हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुना। अभिलेख में संलग्न उभय पक्षों के कारण पृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत पाया कि यह मामला स्वत्व वाद से संबंधित है जिसका निराकण करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। विपक्षी चाहें तो सक्षम न्यायालय जा सकते हैं साथ ही इस वाद कि कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

27.9.18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

27.9.18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.29 13:30:02 +05:30
Location: 192.168.1.13